



झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशांक ४४०/श०/झारखंड, राँची

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

राँची, दिनांक 30/1/04

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काकै रोड राँची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कोकर राँची।
3. इस्ट प्याईन्ट राँची।
4. सरस्वती विद्यामंदिर करकेट्टा परियोजना खेलाड़ी, राँची
5. दयावती पीपी पब्लिक स्कूल उपेशनगर, चाण्डल पूर्वी सिंहभूम।
6. गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च विद्यालय, आदित्यपुर सरायकेला-खरसावाँ।
7. डी०ए०भी पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आफ कम्प्यूटर तालडांगा हाउसिंग कलोनी खिरमुन्हा केनबाद।
9. मुनभम पब्लिक स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगड़ा गिरीडीह।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्प प्रोजेक्ट हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर गोछा रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन भाउन्ट एकेडमी, जेल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धेज जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय बेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधत या कम से कम 30 वर्ष के निर्बाधत पट्टा/लीज पर होना चाहिए यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।

7. विद्यालय का कार्य कलाप रास्ट के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं शक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रसास करना होगा।

8. विद्यालय में छात्रों की सञ्चित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10. विद्यालय में राष्ट्रीय शक्ति निमग्नता के आधार पर गठित शास्त्री निकाय के सदस्यों की कार्याविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

11. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के स्कटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउड एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा

रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग,

झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और अरंभके जांचोपरान्त अनुसंधान अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा अक्षरमन्त्रिमण्य माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शास्त्रों का उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई क भी की जा सकेगी ।

विश्वनाथभाजन

30.1.04
निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/

झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक 209 / रांची, दिनांक 30.1.04
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशांक/ सभी संबंधित जिला शिक्षा प्रहर पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापकों को सूचना प्रेषित ।

30.1.04
निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/

ज्ञापांक 209 / रांची, दिनांक 30.1.04
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30.1.04
निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/

झारखंड, रांची ।